रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 1, 2016/फाल्गुन 11, 1937
No. 136] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 2016/ PHALGUNA 11 , 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016

सा. का. नि. 268(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का, जिन्हें केन्द्रीय सरकार का औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श के पश्चात् बनाने का प्रस्ताव है, निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसमें भारत के राजपत्र की, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

ऐसे आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (....... संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 43क में "चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कोचीन, न्हावा शेवा, कांडला, दिल्ली में तुगलकाबाद और पटपड़गंज, तमिलनाडु में तुतीकोरिन और गोवा में मारमुगाव पत्तन के अंतर्देशीय आधान डिपो: भारत में समुद्र मार्ग द्वारा आयातित औषधियों की बाबत चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, गोवा और बंगलुरू : भारत में वायु मार्ग द्वारा आयातित औषधियों की बाबत" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई, कोचीन, न्हावा शेवा, कांडला, दिल्ली में तुगलकाबाद और पटपड़गंज, तमिलनाडु में तुतीकोरिन और गोवा में मारमुगाव पत्तन और आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के अंतर्देशीय आधान डिपो :

भारत में समुद्री मार्ग द्वारा आयातित औषधियों की बाबत;

चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, गोवा, बंगलुरू और विशाखापट्टनम :

भारत में वायु मार्ग द्वारा आयातित औषधियों की बाबत ।" ।

[फा. सं. एक्स-11014/1/2015-डीएफक्यूसी]

कुंदन लाल शर्मा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्यांक एफ. 28-10/45-एच(1), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि.___(अ), तारीख................ द्वारा किया गया है।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2016

G.S.R. 268(E).—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to the public.

Objections and suggestions which will be received with respect to the said draft rules within the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi- 110011.

Draft rules

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (…..Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come in to force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 43 A, for the words "Chennai, Kolkata, Mumbai, Cochin, Nhava Sheva, Kandla, Inland Container Depots at Tuglakabad and Patparganj in Delhi, Tuticorin in

Tamil Nadu and Marmugao port in Goa: in respect of drugs imported by sea into India. Chennai, Kolkata, Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Hyderabad, Goa and Bengaluru in respect of drugs imported by air into India", the following words shall be substituted, namely:-

"Chennai, Kolkata, Mumbai, Cochin, Nhava Sheva, Kandla, Inland Container Depots at Tuglakabad and Patparganj in Delhi, Tuticorin in Tamil Nadu, Marmugao port in Goa and Visakhapatnam in Andhra Pradesh:

in respect of drugs imported by sea into India;

Chennai, Kolkata, Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Hyderabad, Goa, Bengaluru and Visakhapatnam:

in respect of drugs imported by air into India.".

[F. No. X-11014/1/2015-DFQC]

K. L. SHARMA Jt. Secy.

Footnote.—The principal rules were published in the Official Gazette vide notification No. F.28-10/45-H (1), dated the 21st December 1945 and last amended vide number GSR (E), dated the

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.